

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 05-05-05 लीटर (कुल 15 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता 1- रामसूरत पुत्र भगल निवासी मदारीजोत थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 2- तुलसीराम पुत्र रामउग्रह चौधरी निवासी महुआ डावर थाना सोनहा जनपद बस्ती 3- राजमोहन पुत्र ललई निवासी पड़रियाघाट थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 09 /2021, 10/2021 व 11/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री राजाराम यादव, हे0का0 योगेन्द्र यादव, हे0का0 राजेश चौरसिया, का0 राजकुमार यादव ।

वारण्टी

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रमाकान्त पुत्र पलटू निवासी बढनी पुरवा थाना नगर जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, हे0का0 सन्तोष सिंह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 1 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद / मारपीट को कराया गया शान्त – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 08710 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु जरिये एम्बुलेंस भेजवाया गया तथा विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को बताया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –आ0 मनोज यादव, आरक्षी जय प्रकाश, हो0चा0 शेख अब्दुला ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनो से 62500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनो से 62500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।